



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 30.12.2020

1-थाना फेस 2 नोएडा पुलिस द्वारा तीन वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का फर्जी नम्बर प्लेट लगा एक टैम्पो, 07 मोटर साइकिल, 02 स्कूटी व वाहन चोरी करने की मास्टर चाबी बरामद।

दिनांक 30.12.2020 को थाना फेस-2 नोएडा पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाले अभियुक्तों 1. राजकुमार पुत्र हाकिम सिंह निवासी ग्राम दहेली थाना जवां जिला अलीगढ़ वर्तमान पता मुबारकपुर थाना सूरजपुर जिला गौतमबुद्धनगर 2. मुनफैद पुत्र शब्बीर निवासी हल्दानी जोहड़ वाली मस्जिद के पास थाना ईकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर 3. साहिल पुत्र मुन्शी निवासी हल्दानी निम्स हॉस्पिटल वाली गली थाना ईकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर को टीसीएस तिराहा सेक्टर 80 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का फर्जी नम्बर प्लेट लगा एक टैम्पो, 07 मोटर साइकिल, 02 स्कूटी व वाहन चोरी करने की मास्टर चाबी बरामद हुये है।

अभियुक्तों का विवरण-

1. राजकुमार पुत्र हाकिम सिंह निवासी ग्राम दहेली थाना जवां जिला अलीगढ़ वर्तमान पता मुबारक पुर थाना सूरजपुर जिला गौतमबुद्धनगर।
2. मुनफेद पुत्र शब्बीर निवासी हल्दानी जोहड़वाली मस्जिद के पास थाना ईकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर।
3. साहिल पुत्र मुन्शी निवासी हल्दानी निम्स हॉस्पिटल वाली गली थाना ईकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर।

अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0स0 771/2020 धारा 411,414,482 भादवि0 थाना फेस 2 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर ।

अभियुक्त साहिल पुत्र मुन्शी का आपराधिक इतिहास:

- मु0अ0स0 460/2020 धारा 379,411 भादवि0 थाना फेस 2 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1. वाहन चोरी करने की एक मास्टर चाबी
2. चोरी का फर्जी नम्बर प्लेट लगा 01 टैम्पो एचआर 55 डब्लू 5646
3. चोरी की कुल 07 मोटर साइकिल
4. 02 स्कूटी जिनमे एक पर फर्जी न0 प्लेट व शेष सभी की न0 प्लेट हटी हुई

दिनांक 30.12.2020 को पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर द्वारा माननीय मुख्यमन्त्री उ0प्र0 के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर/माफियाओं एवं अपराधियों तथा उनके सहयोगियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 की धारा 14 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत अपराध से अर्जित चल एवं अचल सम्पत्तियों को कुर्क किये जाने हेतु कार्यवाही की गई ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शातिर अपराधिक माफिया सुंदर भाटी गैंग के सक्रिय सदस्य निजामुद्दीन उर्फ निजाम उर्फ मुनीम, सत्यवीर बंसल व बृजेश मावी के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय पुलिस आयुक्त गौतम बुध नगर के आदेशानुसार अवैध तरीके से अर्जित की गई प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया है। जिसमें निजाम और उसके पुत्र के तीन मकान जो सेक्टर 39 में है और एक वेयरहाउस ग्राम हबीबपुर का तथा 4 गाड़ियां और सतवीर बंसल की पत्नी के नाम से ग्राम दाउदपुर में 8 बीघा जमीन कुर्क की गई है। कीमत लगभग 25 करोड़ (बाजार मूल्य)। जनपद गौतम बुध नगर में अब तक लगभग 100 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी अपराधिक माफियाओं की कुर्क की जा चुकी है।

कमिश्नर प्रणाली के अन्तर्गत गैंगस्टर अधिनियम के तहत पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर द्वारा सम्पत्ति कुर्क की कार्यवाही की गयी है, जो भविष्य में अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों/माफियाओं के विरुद्ध जारी रहेगी।

